न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 636/2023
अनवान : –

1. पुष्पा पुत्री साहबराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।

– वादीया

बनाम्

1. विनोद कुमार पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
2. कृष्णा पुत्री साहबराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
3. चन्द्रकला पुत्री साहबराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
4. गंगादेवी पुत्री जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
5. सुमन पुत्री साहबराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
7. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।
8. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादीया**
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 30/04/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 237/217 की कुल 17.3000 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि व खाता स0 239/219 की ख0न0 243 की 5.6400 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खान दान दर्ज है एवं प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें सायलान का जन्म से हक हिस्सा है उक्त भूमि वादीया के पिता साहबराम पुत्र भीयाराम के नाम दर्ज थी उनके देहान्त के बाद वादीया के भाई यानि की प्रतिवादी स0 1 ने अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली जबकि उक्त भूमि वादीया की पैतृक भूमि है जिसमें वादीया व प्रतिवादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है इसलिए उक्त भूमि प्रतिवादी स0 1 के साथ वादीया व प्रतिवादीगण को को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:03:07 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी प्रतिवादीगण उपस्थित नही अत एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी स0 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया।

उपखण्ड अधिकारी Rahul
नोहर

साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जाकर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खान दान दर्ज है एवं प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें सायलान का जन्म से हक हिस्सा है उक्त भूमि वादीया के पिता साहबराम पुत्र भीयाराम के नाम दर्ज थी उनके देहान्त के बाद वादीया के भाई यानि की प्रतिवादी स0 1 ने अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली जबकि उक्त भूमि वादीया की पैतृक भूमि है जिसमें वादीया व प्रतिवादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है इसलिए उक्त भूमि प्रतिवादी स0 1 के साथ वादीया व प्रतिवादीगण को को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 237/217 की कुल 17.3000 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि व खाता स0 239/219 की ख0न0 243 की 5.6400 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीया का कथन है कि उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खान दान दर्ज है एवं प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें सायलान का जन्म से हक हिस्सा है उक्त भूमि वादीया के पिता साहबराम पुत्र भीयाराम के नाम दर्ज थी उनके देहान्त के बाद वादीया के भाई यानि की प्रतिवादी स0 1 ने अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली जबकि उक्त भूमि वादीया की पैतृक भूमि है जिसमें वादीया व प्रतिवादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक उक्त भूमि पूर्व में वादीया के पूर्वजों के नाम दर्ज रही है अर्थात वादीया के पिता साहबराम के नाम दर्ज रही है जबकि वादीया द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो की प्रतिवादी स0 1 के नाम उक्त भूमि कैसे दर्ज हुई है अर्थात प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि बाबत कोई भी दस्तावेज पेश नही होने के कारण वाद वादीया खारिज योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30/04/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:03:07 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 636 / 2022

अनवान : –

1. पुष्पा पुत्री साहबराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।

– वादीया

बनाम्

1. विनोद कुमार पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
2. कृष्णा पुत्री साहबराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
3. चन्द्रकला पुत्री साहबराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
4. गंगादेवी पुत्री जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
5. सुमन पुत्री साहबराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
7. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।
8. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 636 सन 2022 निर्णय दिनांक 30/04/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीया श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/04/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:03:07 IST
Reason: SelfAttested